

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क. 5579 / 006-04 / प्र.अ. / गौ.नि. / ज.गु.अ.स. / लो.स्वा.यां.वि. / म.प्र. / 12 भोपाल, दि. 14/05/2012

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र.....(म.प्र.)
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मण्डल.....(म.प्र.)

विषय:- ग्रीष्म ऋतु में दूषित पेयजल से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कार्यवाही।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क. 3096 / 006-4 / प्र.अ. / गौ.नि. / ज.गु.अ.स. / भोपाल दि. 25.03.2008

यह सर्वविदित है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही दूषित पेयजल से हाने वाली बीमारियों जैसे:- दस्त, हैजा, पेचिरा, आंत्रशोथ व पीलिया आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं उनका अवलोकन कर पालन सुनिश्चित करें, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए निम्न विन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

(अ) ग्रामीण जल प्रदाय क्षेत्र :-

- (1) ग्रामवासियों को समझाइश दी जाए कि वे रुद्ध पेयजल स्रोतों से प्राप्त पानी का ही पीने व भोजन पकाने के लिए उपयोग करें। यदि खले कुँए के पानी को पीने के उपयोग में लाया जाता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से डिसइन्फैक्शन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए अथवा उसे छानकर स्वच्छ पात्र में भरने के बाद क्लोरीन टैबलेट डालकर/उबालकर ही उपयोग किया जाए।
- (2) जिन हैंडपंपों में प्लेटफार्म, नाली नहीं बनी है या टूट गए हैं उन्हें तत्काल निर्मित/सुधार करें एवं सभी सुधार योग्य खराब हैंडपंप तत्काल ठीक कराए जाएं।
- (3) हैंडपंपों के जल की निकासी की समुचित व्यवस्था हो जिससे इनके आसपास गंदगी/कीचड़ नहीं हो।
- (4) जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल जन्य व्याधियों के फैलने की सूचना/आशंका एवं पूर्व घटनाएं हो चुकी हों वहाँ के पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की जाँच प्राथमिकता पर करावें व ऐसे क्षेत्रों की विशेष निगरानी अत्यंत आवश्यक है। आवश्यकतानुसार नियंत्रणात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही करें।

जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठनों एवं पंचायतों के माध्यम से यह संदेश प्रचारित-प्रसारित किया जाए कि :-

- (4.1) ग्रामीण नलजल योजनाओं की टंकियों में उचित मात्रा में एवं गुणवत्ता के ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से (डिसइन्फैक्शन) जोयापुनाराण किया जाए एवं न्यूनतम 0.2 मि.ग्रा./लीटर अवशिष्ट (रिसिड्यूएल) क्लोरीन की मात्रा सुनिश्चित की जाए।

- (4.2) ग्रामवासी खेत में काम करने जाते समय नलकूप अथवा स्वच्छ कुँओं का ही पानी पीने के लिए साथ ले जाए एवं किसी भी स्थानीय खेत के प्रदूषित स्रोत से पानी का सेवन नहीं करें।
- (5) स्थानीय पंचायतों को परामर्श दें कि वे क्लोकिंग पाउडर/क्लोरीन की समुचित मात्रा जल प्रदाय हेतु उपलब्ध रखें। इसे उचित रूप से मंडारित किया जाए जिससे इसके प्रभावी गुण नष्ट न हों।
- (6) पंचायत विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से भी आवश्यक समन्वय कर, उपरोक्त विभिन्न कार्यवाहिया सुनिश्चित करें।

(ब) नगरीय जल प्रदाय क्षेत्र :-

- (1) सभी स्थानीय निकायों को अवगत कराएं कि उनके अधीनस्थ जल प्रदाय के सभी स्रोतों, जल यंत्रालयों, टैंकों व वितरण प्रणाली का तत्काल निरीक्षण कर पेयजल उपचार हेतु आवश्यक सामग्री आदि की सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं पर्याप्त डिस्टिन्क्शन भी सुनिश्चित करें।
- (2) वितरण प्रणाली के अंतिम बिन्दु पर न्यूनतम 0.2 मि.ग्र./लीटर अवशिष्ट (रिसिड्यूअल) क्लोरीन की उपलब्धि सुनिश्चित की जाए एवं वे पानी का नियमित परीक्षण सुनिश्चित करें।
- (3) वितरण प्रणाली में लोकेज व टूट फूट होने पर स्थानीय निकाय उन्हें तत्काल ठीक करावे ताकि जल प्रदाय रुक हो जाने के बाद ऋणात्मक दबाव के कारण पाईप लाइन में प्रदूषण प्रविष्ट नहीं हो।
- (4) नगर के निजी जल स्रोत जैसे:- निजी कुँए/हैंडपंपों का भी डिस्टिन्क्शन, स्थानीय निकाय सुनिश्चित करें। इसी प्रकार होटलों में मिलने वाले पेयजल तथा बर्फ की भी गुणवत्ता एवं निरंतर/नियमित डिस्टिन्क्शन को भी वे सुनिश्चित करें।

पेयजल परीक्षण के लिए जिले की तथा उपखंड की विभागीय प्रयोगशाला का उपयोग करें तथा संदर्भ परीक्षण या आपातकालीन स्थिति में राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल से भी संपर्क करें।

दूषित पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम मॉनिटरिंग की जावे इसके लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से, पंचायत विभाग से, जिला प्रशासन से व नगरीय निकायों से भी आवश्यक समन्वय रखें।

(एन. के. संहरा)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 5579 / 006-04 / प्र.अ. / नॉनि. / ज.गु.अ.स. / लो.स्वा.यां.वि. / म.प्र. / 12 भोपाल, दि. 14/05 / 2012
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. समस्त कलेक्टर, जिला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड / परियोजना खंड / संधारण खंड (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख अभियंता